एमनेस्टी इंटरनेशनल
प्रेस विज्ञप्ति

27 सितंबर 2023

भारत: सरकार नागरिक समाज के विरुद्ध आतंकवाद वित्तपो षण निगरानी संस्था की सिफारिशों को हथियार बना रही है

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आज जारी की गयी एक नई ब्रीफिंग में कहा कि भारतीय अधिकारी वैश्विक आतंकवाद वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग निगरानी संस्था की सिफारिशों का दुरुपयोग कर नागरिक समाज समूहों और कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं और जानबूझकर उनके काम में बाधा डाल रहे हैं।

*"*आतंकवाद-विरोधी सिफ़ारिशों को हथियार बनाना *(*वेपनाइजिंग काउंटर-टेररिज़्म*)* : नागरिक समाज पर हमला करने के लिए भारत द्वारा आतंकवाद वित्तपोषण के आकलन का गलत फायदा उठाना*"* से पता चलता है कि किस तरह -वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) यानी आतंकवा द के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए जिम्मेदार एक वैश्विक निकाय - की सिफारिशों का भारतीय अधिकारि यों द्वारा दुरुपयोग किया गया और इसका फायदा उठाकर गैर-लाभकारी क्षेत्र को दबाने के लिए कठोर कानून लाने का एक समन्वित अभियान चलाया गया।बदले में इन कानूनों का उपयोग आतंकवाद-संबंधित आरोपों को लाने और अन्य चीजों के अलावा, संगठनों और कार्यकर्ताओं तक आवश्यक धन पहुंचने से रोकने के लिए किया जाता है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के बोर्ड के अध्यक्ष आकार पटेल ने कहा, "आतंकवाद से निपटने की आड़ में, भारत सरकार ने अपने वित्तीय और आतंकवाद विरोधी कानूनों को मजबूत करने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सिफारिशों का फायदा उठाया है, जिनका दुरुपयोग नियमित रूप से आलोचकों को निशाना बनाने और चुप कराने के लिए किया जाता है।"

"इन कानूनों का दुरुपयोग करके, भारत में अधिका री एफएटीएफ मानकों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून दोनों का पालन करने में विफल रहे हैं। "

“(हम) केवल कानूनी केस लड़ने के लिए जी रहे हैं”

भारत में गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी फंड हासिल करने के लिए विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) द्वारा स्थापित “विदेशी योगदान लाइसेंस” की जरूरत होती है। 2006 में इस विधेयक की शुरूआत ठीक उस समय हुई जब भारत एफएटीएफ का पर्यवेक्षक राज्य बना। इसके बाद, 2010 में, भारत की ‘गैर-अनुपालन’ स्थिति में सुधार के लिए अधिनियम में संशोधन किए गए। हालाँकि, तब से, और विशेष रूप से पिछले दस वर्षों में, 20,600 से अधिक गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इनमें से लगभग 6,000 रद्दीकरण 2022 की शुरुआत से हुए हैं।

एमनेस्टी इंटरनेशनल के एक सर्वेक्षण में, 16 में से 11 गैर सरकारी संगठनों (अल्पसंख्यकों, हाशिए पर रहने वाले समूहों और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर काम करने वाले) ने निलंबन, रद्दीकरण और गैर-नवीकरण के माध्यम से अपने विदेशी योगदान लाइसेंस के मनमाने तरीकों से रद्द होने की पुष्टि की। संगठनों ने कहा कि अधिकारियों ने केवल अस्पष्ट कारण बताए, जिनमें उन पर “सार्वजनिक संस्थानों को बदनाम करने”, “सार्वजनिक या राष्ट्रीय हित के खिलाफ काम करने” या उनके मानवाधिकार कार्यों की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाना शामिल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जिन समूहों से बात की उनमें से अधिकांश ने कहा कि उन्हें अपने स्टाफ को 50 से 80 प्रतिशत तक कम करना पड़ा है, जिससे उनके काम का दायरा बेहद प्रभावित हुआ है। एक कार्यकर्ता ने कहा, “हमारे लगभग सभी कार्यक्रम बंद कर दिए गए हैं... [हम] केवल उन कानूनी मामलों से लड़ने के लिए जी रहे हैं जो हमारे खिलाफ दायर किए गए हैं।”

हालाँकि, एफसीआरए (FCRA) में 2020 और उससे पहले के संशोधन, एफएटीएफ (FATF) की सिफारिश 8 के अनुरूप नहीं हैं, जिसके लिए आवश्यक है कि कानून और नियम केवल उन गैर-लाभकारी संगठनों पर निशाना साधें जिन्हें किसी देश ने सावधानीपूर्वक, लक्षित “जोखिम-आधारित” विश्लेषण के माध्यम से पहचाना है कि उनका दुरुपयोग आतंकवाद के वित्तपोषण में हो सकता है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जिन गैर सरकारी संगठनों से बात की, उनमें से किसी से भी भारत सरकार ने “जोखिम-मूल्यांकन” के लिए संपर्क नहीं किया, बावजूद इसके कि एफएटीएफ ने अपनी 2010 और 2013 की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट में आउटरीच की कमी को विशेष रूप से उजागर किया था। इस तरह की कार्रवाइयां एफएटीएफ की सिफारिश 8 पर व्याख्यात्मक नोट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को भी पूरा नहीं करती हैं, जिसका उद्देश्य विशिष्ट और लक्षित

आतंकवाद विरोधी उपायों के जरिए उन अनपेक्षित परिणामों को कम करना है जिसका सामना गैर-लाभकारी क्षेत्र कर रहे हैं।

"हमारे बोर्ड और स्टाफ ने डर के मारे इस्तीफा दे दिया है"

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) का अधिनियमन और भारत के मुख्य आतंकवाद विरोधी कानून- गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) में 2012 के संशोधन, एफएटीएफ में भारत के 34 वें सदस्य बनने की पूर्व शर्तों में से थे। समय के साथ, एफएटीएफ की सिफारिशों के आधार पर इन कानूनों में संशोधन के कारण, 2010 और 2013 में भारत के अंतिम मूल्यांकन में, एफएटीएफ ने भारत की रेटिंग को "गैर-अनुपालन" से "बड़े पैमाने पर अनुपालन" में बदल दिया।

हालाँकि, संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदकों ने बार-बार यूएपीए के विवादास्पद और व्यापक प्रावधानों का आह्वान किया है जो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और मानकों का उल्लंघन करते हैं और एफएटीएफ के मार्गदर्शक सिद्धांतों का भी खंडन करते हैं। भारतीय अधिकारियों ने ऐसी सभी अपीलों को नजरअंदाज किया है और असहमति वाली आवाजों के खिलाफ भेदभावपूर्ण तरीके से इन कानूनों को लागू करना जारी रखा है। इनमें मुस्लिम छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद, कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज, पत्रकार इरफान मेहराज और 16 अन्य भी हैं (भीमा कोरेगांव मामले में) जिनमें से दस को अन्य आरोपों के अलावा 'आतंकवाद को वित्त पोषित करने' के आरोप में 2018 से बिना किसी मुकदमे के हिरासत में रखा गया है। पीएमएलए (PMLA) का इस्तेमाल एमनेस्टी इंटरनेशनल को निशाना बनाने के लिए भी किया गया है, जिससे संगठन को सितंबर 2020 में देश में अपना परिचालन रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा।

आकार पटेल ने कहा, "ये सब तरीके राजनीति से प्रेरित हैं और इनका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए प्रतिकूल माहौल बनाने के लिए किया गया है।एफएटीएफ को भारतीय अधिकारियों द्वारा इन कानूनों का इस्तेमाल देश में, विशेष रूप से नागरिक समाज से जुड़े लोगों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के संघ की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने से रोकना चाहिए।"

एमनेस्टी इंटरनेशनल की सिफारिश है कि यूएपीए, पीएमएलए और एफसीआरए को निरस्त किया जाना चाहिए या फिर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप लाने के लिए इनमें महत्वपूर्ण संशोधन किए जाने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गैर-लाभकारी संगठनों,

जिनमें वे संगठन भी शामिल हैं जिन्हें इन तीन कानूनों के तहत प्रतिकूल कार्रवाई का सामना करना पड़ा है, उन संगठनों से एफएटीएफ के भारत के आगामी मूल्यांकन में परामर्श दिया जाना चाहिए। भारतीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभिव्यक्ति, संघ और सभा की स्वतंत्रता के अधिकारों का प्रयोग प्रभावी ढंग से संरक्षित हो।

पृष्ठभूमि

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF), जिसका भारत 2010 से सदस्य रहा है, एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसमें 37 सदस्य देशों को वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने का अधिकार दिया गया है। यह सामूहिक सुझावों के माध्यम से अपने काम को आगे बढ़ाता है - जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थित 40 वैश्विक मानक शामिल हैं - जिससे राष्ट्रीय अधिकारियों को कानूनी, नियामक और परिचालन उपायों के कार्यान्वयन के जरिए "मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और वित्तीय प्रणाली की अखंडता से जुड़े अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए ममार्गदर्शन मिलता है" ।"

एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा नई ब्रीफिंग का प्रकाशन नवंबर 2023 में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की भारत की पारस्परिक मूल्यांकन प्रक्रिया के चौथे दौर से पहले हुआ है।

अधिक जानकारी के लिए या साक्षात्कार की व्यवस्था करने के लिए, कृपया संपर्क करें: press@amnesty.org